न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

55/18 तारीखवजू:–31.08.2018

उनवानः– सरवती बनाम अमरसिंह वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र शर्मा एडवोकेट एवं वैणीमाधव पारीक एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत करने व बैचान करने पर आमदा हॉ रहे है। प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 26.09.2018 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 3100 रकवा 0.36 है0, 3101 रकवा 0.26 है0, 3109 रकवा 0.26 है0 कुल किता 3 रकवा 0.88 ग्राम पहाडी तहसील टोडाभीम जिला करौली की भूमि मे प्रार्थी के हिस्से मे मौके की यथास्थिति आगामी सुनवाई तिथि तक बनाए रखे। आगामी सुनवाई तिथि पर दूसरे पक्ष को सुने जाने के उपरान्त स्थगन वावत निर्णय किया जावेगा।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है, मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 26.09.2018 को पेश हो।

3/11-12
31/8/18

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

ायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

13.6.19 वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि सायलान ने भूमि क्रय की है, खातेदारी दर्ज हो गई है मेढ़ को नाप-बाप तोड़ते है, पत्थर गढ़ी भी कराई जा चुकी है बबूल के पेड़ काटने व पत्थर गढ़ी की डोल मेढ़ को तोड़ने की FIR भी दर्ज की थी रिपोर्टेड खातेदार हूँ। प्रथम दृष्टया प्रकरण पक्ष में है, सुविधा का संतुलन मेरा भी खातेदार हूँ। अपूरणीय क्षति हो रही है प्रार्थनापत्र कन्फर्म किया जाय। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि पड़ौसी खातेदार हैं, मेरी मेढ़ तोड़ते हैं, कोई पेड़ ~~काटे~~ नहीं काटे हैं। वकील उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया। सायला विवादित आराजीपात रकबे 3100/0.36, 3101/0.26, 3109/0.26 की खातेदार काश्तवार मुताबिक जमाबंदी संवत् 2072-2075 की अन्तः दिनांक 31.8.18 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाना न्यायोचित है

अतः गैरसायलान को दावा के फैसला होने तक ग्राम पहाड़ी की भूमि रकबे 3100/0.36, 3101/0.26, 3109/0.26 के कब्जे काश्त वादीया मजामहत मदाखलत नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner